XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर.1634–दो/07 जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–12–14	इस प्रकरण में दिनांक 22–7–2010 से आवेदक अभि. द्वारा मृतक अना. क्र. 1 के वारिसान की जानकारी कई बार आदेश होने के बावूजद भी प्रस्तुत नहीं की गई है । अना. क्र. 2 की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर, अभि. उप. । अतः वारिसान की जानकारी प्रस्तुत न करने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के. सिंह) सदस्य	

INDIA RUPEES रुपये ५ — INDIA RUPEES रुपये ५ — INDIA RUPEES रुपये ५

R 1634 - II/07

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००७ पुनरीक्षण

श्री .... द्वारा आज दि० 26-9-07 को प्रस्तुत।

अवर सचिव

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

रामलालदास पुत्र गुरु स्व० मसलतीदास, जाति वैरागी पुजारी तथा प्रबंधक मंदिर राधाकृष्ण स्थान कुवसुरा नं० ४ तहसील लहार, जिला भिण्ड (म०प्र०)

-- ---आवेदक.

बनाम

१) छोटेलाल पुत्र मगन,

२) बलवीर उर्फ बल्लू पुत्र छोटेलाल,

समस्त निवासीगण कस्बा दबोह वार्ड न० ३ तहसील लहार, जिला भिण्ड (म०प्र०)

-- --अनावेदकगण.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १६५६ विरुद्ध आदेश दिनांक २२ जून २००७ पारित द्वारा डा०एम० गीता, अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना म०प्र० प्रकरण क्रमांक ३७८/०५-०६ अपील बउनवान रामलालदास बनाम छोटे आदि

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, विवादित भूमि स्थित ग्राम कुंवसुरा नं० २, के आवेदक के गुरु मसलतीदास पुत्र गोलाई, जाति नाई के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की थी, जिसका ट्रस्ट पूर्व में वर्ष १९६८ में बनाया गया, जिसे दि० ७-४-१९७३ को पंजी ट्रस्ट डीड के आधार पर संबंधित सम्पत्ति की देखरेख के लिए बनाया गया। उसकी देखरेख नवीन ट्रस्ट के पदाधिकारियों